रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 302] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 17, 1978/आश्विन 25, 1900
No. 302] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 17, 1978/ASVINA 25, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1978

सा. का. नि. 500 (अ)./आ.व./चीनी.—केन्द्रीय सरकार, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 4 और 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि जो चीनी भारतीय मानक चीनी (आई. एस. एस.) के अनुरूप हैं, वह, उत्पादक द्वारा, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त, चीनी व्यवहारियों के अनुज्ञापन से सम्बन्धित आदेश के अधीन चीनी में व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्तिप्राप्त चीनी व्यवहारी को या भूटान सरकार के किसी नामनिर्देशिती को ही विक्रय की जाएगी और उत्पादक द्वारा जारी किए गए विक्रय इनवायस में प्रेषिती का पूरा नाम और पता तथा उसकी अनुज्ञप्ति संख्या उपदर्शित की जाएगी :

परन्तु उत्पादक, अपने स्वामित्वाधीन किसी कारखाने में चीनी उत्पादों, खाद्य-उत्पादों जिनमें चीनी का प्रयोग किया जाता है और मृदु पेयों के उत्पादनके लिए जितनी वह आवश्यक समझे उतनी मात्रा का प्रयोग कर सकता है ।

[सं. 1-12/77-चीनी नीति]

सी· एन. राघवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 17th October, 1978

G.S.R. 500(E)./Ess. Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by clauses 4 and 5 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby directs that the sugar which shall conform to I.S.S. specification shall be sold, despatched or delivered by a producer only to a sugar dealer licensed to deal in sugar under the Order relating to the licensing of sugar dealers for the time being in force in a State or Union territory or to a nominee of the Government of Bhutan and the sale invoice issued by the producer shall indicate the name and full address of the consignee and his licence number.

Provided that the producer may utilise such quantity as he may consider necessary for the production of sugar products, food products in which sugar is used and soft drinks in a factory owned by him.

[No. 1-12/77-SPY]

C. N. RAGHAVAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978